प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1398/2002

याचिकाकर्ता : मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादीगण : इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एवं अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1781/2002

याचिकाकर्ता : मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादीगण : भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक 22 सितंबर 2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 1398/2002</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, द्वारा श्री वी.आर. कौल, सहायक महाप्रबंधक (सुधार परियोजना) बाल्को, पोस्ट- बाल्को नगर, कोरबा 495 684, छत्तीसगढ़।

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : 1. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, द्वारा प्रबंध निदेशक, कोर 3 स्कोर कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली 110 003।

2. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा सचिव, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।

3. श्री एन.सी. जैन, मध्यस्थ, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार द्वारा सचिव, कक्ष क्रमांक 315, ब्लॉक क्रमांक 14, लोक उद्यम भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1781/2002</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, द्वारा प्रबंधक, लीगल, कंपनी की ओर से विधिवत नियत अटॉर्नी, पोस्ट बाल्को नगर, कोरबा 495

684, छत्तीसगढ़।

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : 1. भारत संघ, द्वारा सचिव, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग, 14, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

2. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, द्वारा प्रबंध निदेशक, कोर III स्कोर कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003।

3. संयुक्त सचिव और मध्यस्थ, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, कमरा नंबर 315, ब्लॉक-14, सार्वजनिक उद्यम भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री,

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता की ओर से श्री रत्नंको बनर्जी, अधिवक्ता सहित श्री तरुण आइच और श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की ओर से श्री सुनील ओटवानी, अधिवक्ता।

भारत संघ की ओर से सुश्री फौजिया मिर्ज़ा, सहायक सॉलिसिटर जनरल।

.....

.....

<u>आदेश</u>

(22 सितंबर, 2010 को पारित किया गया)

1. रिट याचिका क्रमांक 1398/2002 (संक्षेप में "प्रथम याचिका") और रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1781/2007 (संक्षेप में "द्वितीय याचिका") में विधि का एक ही प्रश्न और एक जैसे तथ्य सम्मिलित हैं और इसलिए इन पर इस समान आदेश से विचार किया जा रहा है और इनका निराकरण किया जा रहा है। हालांकि, इस आदेश के लिए, प्रथम याचिका में बताए गए तथ्यों का संदर्भ दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता - भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में "बाल्को") द्वारा बताए गए, संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह हैं कि दिनांक 6-11-1997 और 7-11-1997 की निविदा आमंत्रण सूचनाओं (प्रथम याचिका के क्रमशः अनुलग्नक - पी/1 और पी/2) के माध्यम से, बाल्को ने कोरबा एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स में नए कोल्ड रोलिंग मिल्स प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए सिविल और संरचनात्मक कार्यों के लिए इच्छुक पक्षकारों से निविदा आमंत्रित किए। उक्त निविदा सूचना के बाद, उत्तरवादी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (संक्षेप में "ईपीआईएल") ने दिनांक 23-12-1997 और 24-12-1997 (प्रथम याचिका के क्रमशः अनुलग्नक पी/3 और पी/4) को उपरोक्त कार्यों के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 16-7-1998 के आशय पत्र (प्रथम याचिका के अनुलग्नक पी/5 और पी/6) के माध्यम से बाल्को ने ईपीआईएल के पक्ष में आदेश दिया। इसके बाद, दोनों कंपनियों ने दिनांक 7-1-1999 और 1-2-1999 को करार किए (प्रथम याचिका के क्रमशः अनुलग्नक - पी/7 और पी/8)। संविदा के सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 9.22.1 अर्थात संविदा करार की

अनुसूची 9 के तहत, वे संविदा से उत्पन्न होने वाले विवादों और मतभेदों को माध्यस्थम् (संक्षेप में "माध्यस्थम् करार") (प्रथम याचिका का अनुलग्नक – पी/9) के माध्यम से हल करने पर सहमत हुए ।

3. दिनांक 2-3-2001 को भारत सरकार ने बाल्को में अपनी 51% शेयरधारक स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) लिमिटेड (शॉर्ट में "स्टरलाइट") को बेच दी और इसके साथ ही बाल्को का प्रबंधन स्टरलाइट को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद से बाल्को अब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (शॉर्ट में "पीएसयू") नहीं रहा, और एक संयुक्त उद्यम बन गया।

4. बाल्को और ईपीआईएल के बीच कुछ विवाद और मतभेद हुए। इसके बाद, ईपीआईएल ने दिनांक 31-5-2001 के पत्र से माध्यस्थम् खण्ड का आह्वान किया। इसके बाद, भारत सरकार, खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 23-7-2001 के पत्र (प्रथम याचिका का अनुलग्नक पी/10) के द्वारा बाल्को से माध्यस्थम् के विषय में टिप्पणियां मांगी। बाल्को ने अपने दिनांक 9-8-2001 के पत्र (प्रथम याचिका का अनुलग्नक-पी/11) में स्थायी माध्यस्थम् तंत्र (शॉर्ट में "पीएमए") के तहत माध्यस्थम् कराने पर आपत्ति जताई, इस आधार पर कि दिनांक 2-3-2001 को विनिवेश के बाद बाल्को अब सार्वजनिक उपक्रम नहीं रहा। हालांकि, बाल्को इस बात पर सहमत हो गया कि माध्यस्थम् सार्वजनिक उपक्रम और शासकीय विभागों के अलावा दूसरों के लिए लागू प्रक्रिया भारतीय मध्यस्थता परिषद् के तहत माध्यस्थम् के अनुसार किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद, बाल्को को दिनांक 19-12-2001 को श्री एन.सी. जैन (प्रथम याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 3) से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि उन्हें इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है और उन्होंने पी.एम.ए. के अंतर्गत संदर्भ स्वीकार कर लिया है। श्री जैन ने बाल्को को अपने दावे, उत्तर और

प्रतिदावे, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई दिनांक 14-3-2002 के लिए निर्धारित की।

6. यद्यपि पी.एम.ए. के क्षेत्राधिकार के संबंध में बाल्को को अपनी आपत्ति का कोई उत्तर नहीं मिला है, इसलिए बाल्को ने 45.20 करोड़ रुपये की राशि के लिए अपना जवाब और प्रतिदावा प्रस्तुत किया। उक्त जवाब और प्रतिदावे में बाल्को ने पी.एम.ए. के अंतर्गत मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाते हुए प्रारंभिक आपत्ति उठाई और तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त संदर्भ इस आधार पर प्रारंभ से ही अमान्य है कि जब माध्यस्थम् कार्यवाही शुरू हुई थी या जब ईपीआईएल द्वारा उक्त खंड का आह्वान किया गया था, तब बाल्को एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं था। ईपीआईएल ने सिविल कार्यों के लिए 5,57,20,522-56 रुपये और संरचनात्मक कार्यों के लिए 6,15,72,560=38 रुपये की राशि के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दिनांक 14-3-2002 को तर्क के दौरान बाल्को ने मध्यस्थ के समक्ष उपरोक्त आपत्ति उठाई, लेकिन मध्यस्थ ने दिनांक 21-3-2002 के आदेश (प्रथम याचिका के अनुलग्नक पी/15) के तहत उक्त आपत्ति को खारिज कर दिया और मामले की नियमित सुनवाई दिनांक 22-5-2002 के लिए तय कर दी। इसके बाद, बाल्को ने दिनांक 6-5-2002 के अपने पत्र (प्रथम याचिका के अनुलग्नक पी/16) के माध्यम से मध्यस्थ को सूचित किया कि उन्होंने मेसर्स केसर दास एंड बी. एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, सॉलिसिटर्स एंड कंसल्टेंट्स को माध्यस्थम् कार्यवाही में बाल्को का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है। इसके बाद, दिनांक 20-5-2002 को (प्रथम याचिका के अनुलग्नक-पी/17) बाल्को के अधिवक्ता ने मध्यस्थ के समक्ष एक आवेदन दिया और कहा कि माध्यस्थम् का स्थान कोरबा होगा ईपीआईएल ने पीएमए नियमों के तहत बाल्को द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति का विरोध करते हुए प्रथम याचिका के अनुलग्नक पी/18 के माध्यम से

एक आवेदन प्रस्तुत किया और बाल्को को केवल अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

8. ईपीआईएल द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्ति के अनुसार, मेसर्स केसर-दास एंड बी. एसोसिएट्स दिनांक 22-5-2002 को मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और मामले का प्रतिनिधित्व बाल्को के अधिकारियों द्वारा किया गया। मध्यस्थ ने माध्यस्थम् कार्यवाही के स्थान के संबंध में बाल्को के आवेदन को अस्वीकार कर दिया और दिनांक 22-5-2002 के आदेश (प्रथम याचिका के अनुलग्नक-पी/20) द्वारा मामले को दिनांक 25-7-2002 तक के लिए स्थगित कर दिया। इस प्रकार, बाल्को ने दिनांक 12-7-2002 को इस न्यायालय के समक्ष प्रथम याचिका प्रस्तुत की।

9. इस न्यायालय ने दिनांक 19-7-2002 को प्रथम याचिका पर यह आदेश पारित किया कि "इस बीच, यदि मध्यस्थ द्वारा कोई बैठक, यदि कोई हो, आयोजित की जाती है, तो उसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस न्यायालय में प्रथम याचिका के लंबित रहने के दौरान, भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 22-1-2004 को एक कार्यालयीन ज्ञापन (संक्षेप में "ओएम") जारी किया (प्रथम याचिका का अनुलग्नक - पी/21) जिसमें निर्देश दिया गया था कि पीएमए के तहत विवादों के निराकरण की प्रक्रिया उस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पर भी लागू होगी, जो विनिवेश या अन्य किसी कारण से निजीकरण के कारण अपनी मूल स्थिति में नहीं रह गया है। इसके बाद, बाल्को ने दिनांक 12-3-2007 को प्रथम याचिका में संशोधन आवेदन (आई.ए.क्र-.1) प्रस्तुत किया, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 30-3-2007 को स्वीकार कर लिया। तदनुसार, बाल्को द्वारा दिनांक 7-4-2007 को संशोधित रिट याचिका प्रस्तुत की गई।

11. बाल्को ने इस न्यायालय में दिनांक 12-3-2007 को द्वितीय याचिका (रिट याचिका सेवा 1781/2007) भी प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 2-3-2001

को भारत सरकार द्वारा बाल्को का विनिवेश कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाल्को अब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं रहा। दूसरी याचिका में, बाल्को ने दिनांक 22-1-2004 के कार्यालयीन ज्ञापन की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी।

12. बाल्को की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तरुण आइच और श्री घनश्याम पटेल के साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नांको बनर्जी ने तर्क प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक धन और समय की बर्बादी से बचने के लिए पीएमए केवल तभी विवादों का समाधान कर सकता है जब सार्वजनिक उपक्रमों और शासकीय विभागों के बीच कोई विवाद या मतभेद हो, क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं एक अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर[1] तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं एक अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर[2] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में सभी अंतर-विभागीय विवादों का निराकरण केवल शासकीय स्तर पर ही किया जा सकता है। तदनुसार, पीएमए की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 12-3-1985, 29-3-1989, 31-12-1991 और 24-1-1994 को कई कार्यालयीन ज्ञापन जारी किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13 श्री बनर्जी ने आगे कहा कि पीएमए फोरम के पास इस विषय पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि विनिवेश के बाद सरकार वर्तमान बाल्को पर नियंत्रण खो देगी और इस प्रकार, पीएमए का क्षेत्राधिकार भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार, पीएमए का क्षेत्राधिकार जारी नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान बाल्को एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने जिंदल विजयनगर स्टील (जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड) बनाम जिंदल प्रैक्सेयर ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड[3] में दिए गए सर्वोच्च

---

1 1992 Supp (2) SCC 432
2 1995 Supp (4) SCC 541
3 (2006) 11 SCC 521

न्यायालय के निर्णय और फजलेहुसैन हैदरभाई बक्समुसा एवं अन्य बनाम यूसुफअली आदमजी एवं अन्य[4] में दिए गए बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया।

14. श्री बनर्जी आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि माध्यस्थम् खंड 9.22.1 और 9.22.2 स्पष्ट हैं और उन्हें किसी और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। माध्यस्थम् खंड की स्पष्ट भाषा स्पष्ट रूप से पीएमए द्वारा विवाद समाधान का प्रावधान करती है, केवल तभी जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शासकीय विभागों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हों। एक गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बीच उत्पन्न विवाद और मतभेद का पीएमए द्वारा संविदा के खंड 9.22.1 के पहले भाग के तहत न्यायनिर्णयन किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, श्री बनर्जी ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम संजय ट्रांसपोर्ट एजेंसी और एक अन्य[5] में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया हैं।।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. श्री बनर्जी यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ एवं अन्य[6] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 60 में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी के 51% शेयरों के विनिवेश के परिणामस्वरूप, प्रबंधन और नियंत्रण निस्संदेह निजी हाथों में चला गया है और इस प्रकार, बाल्को की स्थिति में परिवर्तन के कारण, कर्मचारी अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12, 14, 16 और 311 के तहत संरक्षण के हकदार नहीं होंगे। इस प्रकार, वर्तमान मामले में भी, विनिवेश के बाद, वर्तमान बाल्को एक निजी कंपनी बन गई और पीएमए का मंच लागू नहीं होगा।

16. श्री बनर्जी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि बाल्को ने दिनांक 3-9-2010 को प्रस्तुत प्रथम याचिका में आवेदन में भारत सरकार के साथ दिनांक 2-3-2001 को हुए शेयरधारक करार और शेयर क्रय करार का भी खुलासा किया है, जिसके अनुसार शेयरों

---

4 AIR 1955 Bombay 55
5 AIR 1955 Bombay 55
6 (2002) 2 SCC 333

का विनिवेश किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि विनिवेश के बाद विवादों के निराकरण के लिए बाल्को को पीएमए के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करने संबंधी कोई खंड नहीं है। वास्तव में, शेयर क्रय करार के खंड 7.6, जिसमें बाल्को के विरुद्ध लंबित वाद, कार्यवाही, मुकदमेबाजी या माध्यस्थम् कार्यवाही या दावे का उल्लेख है, में अनुसूची 7.6 में दिए गए विवरण में ईपीआईएल के दावे का कोई संदर्भ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि शासन ने ईपीआईएल के दावे के लिए बाल्को के विरुद्ध पीएमए की प्रक्रिया द्वारा किसी लंबित माध्यस्थम् पर कभी विचार नहीं किया।

17. श्री बनर्जी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पीएमए और भारत सरकार अच्छी तरह जानते थे कि माध्यस्थम् की पद्धति के लिए एक नए करार की आवश्यकता होगी और यह पीएमए के दिनांक 9-3-2010, 10-5-2010 और 26-7-2010 के आदेशों से स्पष्ट है। पीएमए चाहता था कि बाल्को नए करार पर हस्ताक्षर करे, जैसा कि दूसरी याचिका में दिनांक 21-6-2010 के आवेदन से स्पष्ट है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. दिनांक 22-1-2004 का आक्षेपित कार्यालयीन ज्ञापन पूरी तरह से क्षेत्राधिकार से बाहर है। शासन बाल्को में केवल एक अल्पसंख्यक शेयरधारक है और इसलिए, दिनांक 22-1-2004 का कार्यालयीन ज्ञापन लागू नहीं होगा, जिसके तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और एक निजी उपक्रम, अर्थात् बाल्को, के बीच किसी विधिक प्राधिकार के बिना माध्यस्थम् करार में एकतरफा बदलाव लाने की कोशिश की गई थी। इस प्रकार, दिनांक 22-1-2004 का कार्यालयीन ज्ञापन अवैध, अनुचित और किसी भी विधिक अधिकार से रहित है।

19 श्री बनर्जी आगे यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 22-1-2004 का कार्यालयीन ज्ञापन अवैध और मनमाने ढंग से, क्षेत्राधिकार के बिना और स्थापित विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध जारी किया गया है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, दिनांक 22-1-2004 का कार्यालयीन ज्ञापन जारी करके बाल्को पर पीएमए की निराकरण

प्रक्रिया लागू नहीं कर सकता। उक्त ज्ञापन दुर्भावनापूर्ण आशय और किसी गुप्त उद्देश्य से जारी किया गया है।

20. श्री बनर्जी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि बाद की घटनाओं के कारण, यह सर्वविदित है कि न्यायालय भी इस विषय पर अपना क्षेत्राधिकार खो सकता है। ईपीआईएल इस तथ्य को भली-भांति जानता था कि यदि किसी भी कारण से, चाहे वह विनिवेश हो, बाल्को एक निजी उपक्रम बन जाता है, तो माध्यस्थम् करार का दूसरा भाग लागू होगा। बाल्को ने अपने पत्र दिनांक 9-8-2001 में पी.एम.ए. के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति की है तथा मध्यस्थ के समक्ष बाल्को द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं प्रतिदावे में भी पी.एम.ए. के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति थी, जिसे पी.एम.ए. ने दिनांक 21-3-2002 को खारिज कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. दूसरी ओर, ईपीआईएल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सुनील ओटवानी ने तर्क प्रस्तुत किया कि बाल्को में स्वामित्व के प्रबंधन में परिवर्तन से पहले बाल्को और ईपीआईएल के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए थे और ईपीआईएल द्वारा बाल्को के समक्ष दिनांक 7-10-2000, 16-11-2000 और 5-2-2001 के पत्रों के माध्यम से दावे दर्ज किए गए थे (दूसरी याचिका के लिए क्रमशः अनुलग्नक आर 2/6, आर 2/7 और आर 2/8)। उक्त दावों को बाल्को द्वारा 3/5-2-2001 और 12-2-2001 को खारिज कर दिया गया था (दूसरी याचिका के लिए क्रमशः अनुलग्नक – आर 2/9 और आर 2/10)। इसलिए, संविदा को केवल इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि संविदा का एक पक्ष बाद में कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन के कारण एक संयुक्त उद्यम कंपनी बन गया बाल्को ने इस न्यायालय में निष्पक्षता से आवेदन नहीं किया है और इस याचिका में गलत एवं भ्रामक कथन प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में, यह कार्यालयीन ज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का उचित, वैधानिक और व्यापक जनहित में प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।

22. श्री ओटवानी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यह स्वीकार किया जाता है कि कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 22-1-2004 को जारी किया गया था, जबकि बाल्को ने इसे तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद चुनौती दी थी, अतः यह याचिका विलंब और अतिविलंब के आधार पर खारिज की जा सकती है। अन्यथा भी, बाल्को अपने पक्ष में कोई भी मामला प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

23. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल सुश्री फौजिया मिर्जा ने तर्क दिया कि भारत सरकार ने सही और उचित ढंग से कार्यालयीन ज्ञापन जारी किया है। दिनांक 22-1-2004 के कार्यालयीन ज्ञापन को जारी करने में कोई मनमानी नहीं हुई है और देश के विधि के अनुसार ऐसे दिशानिर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार ही एकमात्र प्राधिकारी है। सुश्री मिर्ज़ा ने आगे कहा कि पक्षकारों के बीच निष्पादित माध्यस्थम् खंड के अनुसार, पीएमए में मध्यस्थ का निर्णय विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। दिनांक 22-1-2004 के कार्यालयीन ज्ञापन से बाल्को का कोई भी विधिक अधिकार या निहित अधिकार प्रभावित नहीं होता है। बाल्को और उसके शेयरधारक, विनिवेश से पहले बाल्को द्वारा पहले ही किए गए संविदा और उसके नियमों व शर्तों के तहत दायित्वों से बंधे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. सुश्री मिर्ज़ा आगे यह प्रस्तुत प्रस्तुत करती हैं कि चूँकि प्रारंभिक करार तत्कालीन बाल्को और ईपीआईएल (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) के बीच परामर्श पर हस्ताक्षरित हुआ था, अतः यह प्रस्तुत है कि पूर्व में हस्ताक्षरित माध्यस्थम् करार बाल्को के वर्तमान प्रबंधन पर भी लागू होगा। वर्तमान बाल्को एक निजी कंपनी नहीं है, बल्कि विनिवेश के बाद यह एक संयुक्त उद्यम बन गई है, क्योंकि इसकी 51% शेयरधारिता स्टरलाइट के पक्ष में चली गई है। माध्यस्थम् प्राधिकरण (पीएमए) को माध्यस्थम् खंड की व्याख्या करने और यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वर्तमान बाल्को, पीएमए के अंतर्गत शासित होगी या नहीं। दिनांक 22-1-2004 का कार्यालयीन ज्ञापन भारत

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कई दिशानिर्देशों में से एक था, जो बाल्को पर लागू नहीं होता, बल्कि उन सभी उद्यमों पर लागू होता है जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने-अपने विनिवेश के बाद निजी पक्षकारों के हाथों में चले गए हैं। इस प्रकार, भारत सरकार दिनांक 22-1-2004 का कार्यालयीन ज्ञापन जारी करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह एक नीतिगत मामला है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

25. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

26. यह स्पष्ट है कि सिविल और संरचनात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु तत्कालीन बाल्को और ईपीआईएल के बीच दिनांक 7-1-1999 और 1-2-1999 को करार किए गए थे। माध्यस्थम् करार में पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों को उसमें निर्दिष्ट विधि द्वारा निराकृत करने का प्रावधान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. माध्यस्थम् खंड 9.22.1 और 9.22.2 इस प्रकार हैं:

> 9.22.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और शासकीय विभागों के लिए संविदाओं के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, ऐसे विवादों या मतभेदों को दोनों पक्षकारों द्वारा लोक उद्यम विभाग के किसी एक मध्यस्थ की माध्यस्थम् के लिए भेजा जाएगा, जिसे भारत सरकार के प्रभारी सचिव या लोक उद्यम बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा। इस खंड के अंतर्गत माध्यस्थम् पर भारतीय माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 लागू नहीं होगा। मध्यस्थ का निर्णय विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा, बशर्ते कि ऐसे निर्णय से व्यथित कोई भी पक्ष, निर्णय को

अपास्त करने या उसमें संशोधन के लिए विधि सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को आगे संदर्भ दे सके। ऐसे संदर्भ पर, विधि सचिव या विधि सचिव द्वारा अधिकृत विशेष/अपर सचिव द्वारा विवाद का निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय पक्षकारों को अंतिम और निर्णायक रूप से बाध्य करेगा। विवाद के पक्षकार "मध्यस्थ" द्वारा सूचित माध्यस्थम् के व्यय को समान रूप से साझा करेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और शासकीय विभागों के अलावा अन्य के लिए

इस संविदा के निर्माण, अर्थ, संचालन या प्रभाव या इसके उल्लंघन से संबंधित पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निराकरण किया जाएगा। हालाँकि, यदि पक्षकार सौहार्दपूर्ण ढंग से इनका समाधान नहीं कर पाते हैं, तो उनका निराकरण भारतीय मध्यस्थता परिषद् के माध्यस्थम् नियमों के अनुसार माध्यस्थम् द्वारा किया जाएगा और उसके अनुसरण में दिया गया निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ तर्कपूर्ण अधिनिर्णय निर्णय देंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9.22.2 संविदा के तहत कार्य ठेकेदार द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान जारी रखा जाएगा जब तक कि क्रेता द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित न किया जाए या जब तक मामला ऐसा न हो कि मध्यस्थों या अंपायर के निर्णय तक कार्य जारी रखना संभव न हो, जैसा भी मामला हो, और संविदा में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, क्रेता द्वारा देय या भुगतान योग्य कोई भी भुगतान माध्यस्थम् कार्यवाही पर रोक नहीं रखा जाएगा जब तक कि यह विषय वस्तु या उसके विषयों में से एक न हो।

28. ईपीआईएल ने दिनांक 31-5-2001 को लोक उद्यम विभाग के सचिव के समक्ष एक विवाद उठाया। तत्पश्चात, दिनांक 23-7-2001 के पत्र (प्रथम याचिका के अनुलग्नक पी/10) द्वारा बाल्को से निम्नलिखित विषय पर जानकारी/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया:

"i) क्या ईपीआईएल और बाल्को के बीच उक्त संविदा अभी भी वैध है;

ii) क्या बाल्को के विचार से, ईपीआईएल विनिवेश-पूर्व अवधि से संबंधित विवाद के लिए उक्त माध्यस्थम् खंड का प्रयोग कर सकता है;

iii) क्या बाल्को माध्यस्थम् के लिए प्रतिबद्ध होगा; और

iv) यदि हाँ, तो ईपीआईएल द्वारा उठाए गए विवाद पर बाल्को का क्या रुख है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. बाल्को ने अपने पत्र दिनांक 9-8-2001 (प्रथम याचिका के अनुलग्नक-पी/11) द्वारा उत्तर दिया कि विवादों और मतभेदों का समाधान केवल माध्यस्थम् करार के दूसरे भाग "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और शासकीय विभाग के अलावा" शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है, न कि पीएमए के अंतर्गत। भारत सरकार ने बाल्को के पत्र दिनांक 9-8-2001 पर कोई आदेश पारित किए बिना, श्री एन.सी. जैन, संयुक्त सचिव, विधि सलाहकार को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। दिनांक 19-12-1001 को मध्यस्थ ने दोनों पक्षकारों को दिनांक 14-3-2002 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया और आगे दावे के विवरण या सीएसएफ/प्रतिदावों सहित दस्तावेजों के साथ अपना तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

30. उक्त आदेश के अनुसरण में, बाल्को ने प्रारंभिक आपत्ति के साथ अपना उत्तर और प्रतिदावा प्रस्तुत किया कि ईपीआईएल "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और शासकीय विभागों के लिए" शीर्षक के अंतर्गत खंड 9.22.1 के माध्यस्थम् प्रावधानों का उपयोग

करने का हकदार नहीं है। मध्यस्थ द्वारा दिनांक 21-3-2002 को बाल्को की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया (प्रथम याचिका का अनुलग्नक-पी/15) और कहा गया कि बाल्को और ईपीआईएल के बीच माध्यस्थम् मामले में निर्णय लेने का अधिकार पीएमए को है। इस प्रकार, बाल्को द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12-7-2002 को प्रथम याचिका प्रस्तुत की गई।

31. एम. दयानंद रेड्डी बनाम ए.पी. इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य[7] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया कि:

> "8.....यदि करार की शर्तों से विवाद को माध्यस्थम् के लिए भेजने के पक्षकारों के आशय का स्पष्ट पता लगाया जा सकता है, तो यह मायने नहीं रखता कि करार में माध्यस्थम् या 'मध्यस्थ' या 'मध्यस्थों' शब्दों का प्रयोग किया गया है या नहीं। यह भी आवश्यक नहीं है कि माध्यस्थम् के लिए सहमति पक्षकारों के बीच करार की अन्य शर्तों वाले दस्तावेज़ में भी हो। विधि सर्वविदित है कि माध्यस्थम् खंड को किसी ऐसे विशिष्ट दस्तावेज़ के संदर्भ में शामिल किया जा सकता है जो विद्यमान हो और जिसकी शर्तें आसानी से ज्ञात की जा सकें। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि किसी अन्य दस्तावेज़ में निहित माध्यस्थम् खंड संविदा में शामिल है या नहीं, यह प्रश्न हमेशा एक व्याख्या का प्रश्न होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि माध्यस्थम् खंड संविदा के अन्य खंडों से बिल्कुल अलग है। करार के अन्य खंड पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के प्रति दायित्व निर्धारित करते हैं। लेकिन माध्यस्थम् खंड दायित्व निर्धारित नहीं करता है। किसी भी पक्ष पर दूसरे पक्ष के पक्ष में कोई दायित्व नहीं है। ऐसा माध्यस्थम् करार पक्षकारों के बीच एक करार का प्रतीक है कि विवाद की स्थिति में, ऐसे विवाद का निराकरण मध्यस्थ, उनके अपने संविधान के पंच

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

7 (1993) 3 SCC 137

या किसी उपयुक्त मामले में न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा। यह उल्लेख करना उचित है कि माध्यस्थम् करार में एक भौतिक अंतर है क्योंकि एक साधारण संविदा में, पक्षकारों के एक-दूसरे के प्रति दायित्व को सामान्यतः विशिष्ट रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और संविदा की ऐसी शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप केवल क्षति होती है। हालाँकि, माध्यस्थम् अधिनियम की व्यवस्था द्वारा माध्यस्थम् खंड को विशिष्ट रूप से लागू किया जा सकता है। माध्यस्थम् करार के उल्लंघन के लिए उपयुक्त उपाय माध्यस्थम् करार का प्रवर्तन है, न कि ऐसे उल्लंघन से होने वाली क्षति। इसके अलावा, एक साधारण करार और माध्यस्थम् करार के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है। एक माध्यस्थम् करार में, न्यायालयों के पास एक वैध माध्यस्थम् करार के वितरण की विवेकाधीन शक्ति होती है, लेकिन न्यायालयों के पास अन्य माध्यस्थम् करार के वितरण की ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। माध्यस्थम् के लिए किसी संविदा की इस विशिष्ट विशेषता को हेमैन बनाम डार्विन्स लिमिटेड के निर्णय में उजागर किया गया है। नॉर्थ वेस्टर्न रबर कंपनी और हटनबाक एंड कंपनी, रे (प्रोड्यूस ब्रोकर्स कंपनी बनाम ओलंपिया ऑयल एंड केक कंपनी में अन्य बिंदुओं पर खारिज) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक माध्यस्थम् करार किसी भी तरह से संविदा के तहत पक्षकारों के अधिकार को वर्गीकृत नहीं करता है, लेकिन यह पूरी तरह से अधिकारों को निर्धारित करने के तरीके से संबंधित है..

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम इंडो स्विस सिंथेटिक्स जेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य[8] के मामले में यह स्पष्ट किया

8 (1996) 1 SCC 54

है कि माध्यस्थम् खंड उस स्थिति में विनष्ट हो जाएगा जब या तो कोई नया संविदा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मूल संविदा को विखण्डित या परिवर्तित किया जाता है।

33. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड[9] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने द यूनियन ऑफ इंडिया बनाम किशोरीलाल गुप्ता एंड ब्रदर्स[10] के मामले में दिए गए अपने पूर्व निर्णय का अवलंब लेते हुए निम्नलिखित अवधारित किया कि:

> "16. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम किशोरीलाल गुप्ता एंड ब्रदर्स मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या संविदा में माध्यस्थम् खंड तब प्रभावी नहीं रहेगा, जब संविदा समझौते के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाता है। प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत निकाले कि माध्यस्थम् करार कब लागू होते हैं और कब लागू नहीं होते हैं: (एआईआर पृष्ठ 1370, कंडिका 10)
>
> (i) माध्यस्थम् खंड किसी संविदा का एक संपार्श्विक खंड होता है जो उसकी मूल शर्तों से अलग होता है; फिर भी यह उसका एक अभिन्न अंग होता है।
>
> (ii) माध्यस्थम् खंड की शर्तें चाहे कितनी भी व्यापक क्यों न हों, संविदा का अस्तित्व उसके अनुपालन के लिए एक आवश्यक शर्त है; और माध्यस्थम् खंड संविदा के साथ ही समाप्त हो जाता है।
>
> (iii) कोई संविदा इस अर्थ में अस्थाई हो सकता है कि वह कभी विधिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं आया या वह आरंभ से ही शून्य था। ऐसी स्थिति में, चूँकि मूल संविदा का कोई विधिक अस्तित्व नहीं है, माध्यस्थम् खंड भी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि मूल संविदा के साथ-साथ वह भी शून्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

9 (2009) 1 SCC 267

10 AIR 1959 SC 1362

(iv) यद्यपि संविदा वैध रूप से निष्पादित किया गया था, फिर भी पक्षकार इसे ऐसे समाप्त कर सकते हैं मानो यह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो और इसके स्थान पर एक नया संविदा स्थापित कर सकते हैं, जो पूरी तरह से उनके अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करेगा। ऐसी स्थिति में, जैसे ही मूल संविदा प्रतिस्थापित संविदा द्वारा समाप्त हो जाता है, मूल संविदा का माध्यस्थम् खंड भी उसके साथ समाप्त हो जाता है।

(v) कंडिका (iii) और (iv) में उल्लिखित दो चरम सीमाओं के बीच, वे मामले हैं जहाँ संविदा अस्वीकृति, निराशा, उल्लंघन आदि के कारण समाप्त हो सकता है। इन मामलों में, संविदा का अनुपालन समाप्त हो गया है, लेकिन संविदा कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए, इसके अंतर्गत या इससे संबंधित विवादों के संबंध में, अभी भी अस्तित्व में है। जब संविदा कुछ उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में होते हैं, तो उन संविदाओं में माध्यस्थम् खंड उन उद्देश्यों के संबंध में कार्य करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कंडिका (i) में वर्णित सिद्धांत को अब अधिनियम की धारा 16(1)(क) में वैधानिक मान्यता दी गई है। कंडिका (iii) में दिए गए सिद्धांत को अब अधिनियम की धारा 16(1)(ख) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। कंडिका (iv) और (v) में दिए गए सिद्धांत स्पष्ट हैं और लागू होते रहेंगे। कंडिका (ii) में दिए गए सिद्धांत को अनुपालन या करार और संतुष्टि द्वारा निष्पादित संविदाओं के संदर्भ में और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।"

34. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड[11] के मामले में माध्यस्थम् करार की पवित्रता के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है:

---

11 (2009) 8 SCC 520

"14. कोई भी पक्ष यह नहीं कह सकता कि वह करार के केवल एक भाग से ही आबद्ध होगा, दूसरे भाग से नहीं, जब तक कि ऐसा दूसरा भाग अनुपालन के लिए असंभव न हो या अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण शून्य न हो, और ऐसा भाग करार के शेष भाग से पृथक करने योग्य न हो। माध्यस्थम् खंड एक पैकेज है जो यह निर्धारित कर सकता है कि कौन से विवाद माध्यस्थम् योग्य हैं, किस स्तर पर विवाद माध्यस्थम् योग्य हैं, मध्यस्थ कौन होना चाहिए, स्थल क्या होना चाहिए, कौन सा संविधि पक्षकारों पर शासन करेगा, आदि। संविदा का कोई पक्ष माध्यस्थम् खंड के तहत माध्यस्थम् का लाभ नहीं ले सकता, लेकिन माध्यस्थम् खंड में निहित नामित मध्यस्थ से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया की अनदेखी कर सकता है।

15. इस न्यायालय के अनेक निर्णयों से अब सुस्थापित हो चुका है कि शासकीय संविदाओं में माध्यस्थम् करार, जिनमें यह प्रावधान है कि विभाग का कोई कर्मचारी (आमतौर पर कार्य या संविदा से असंबद्ध कोई उच्च अधिकारी) मध्यस्थ होगा, न तो अमान्य हैं और न ही अप्रवर्तनीय.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. इसमें कोई विवाद नहीं है कि संविदा करार के साथ-साथ माध्यस्थम् करार पर तत्कालीन बाल्को और ईपीआईएल द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। नियमों और शर्तों के अनुसार, तथा विवादों और मतभेदों के समाधान की विधि के संबंध में, न तो ईपीआईएल और न ही बाल्को ने माध्यस्थम् खंड के संबंध में विवाद के अन्य पक्ष के समक्ष विवाद उठाया है। बाल्को ने ईपीआईएल को भारतीय मध्यस्थता परिषद् के माध्यस्थम् नियमों के अनुसार माध्यस्थम् का आह्वान करने के लिए भी नहीं कहा है, हालाँकि सभी विवाद भारत सरकार के समक्ष लंबित थे। यदि बाल्को को यह लगता था कि विवाद का समाधान केवल करार में निर्धारित विधि और भारतीय मध्यस्थता परिषद्

के नियमों के अनुसार ही हो सकता है, तो बाल्को को दूसरे पक्षकार अर्थात् ईपीआईएल को पत्र लिखना चाहिए था और असफल होने पर, विधि के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य वैधानिक मंच का आश्रय लेना चाहिए था। निराकरण पद्धति के तहत आपत्ति उठाई गई थी, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शासकीय विभागों के लिए लागू करने का प्रयास किया गया था।

36. माध्यस्थम् करार के खंड 9.22.1 के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि पहला भाग ईपीआईएल और बाल्को के बीच विवाद के संबंध में लागू था और भारतीय मध्यस्थता परिषद् के नियमों के अनुसार विवाद के समाधान का दूसरा भाग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और शासकीय विभाग के अलावा अन्य के बीच उत्पन्न विवाद के लिए संदर्भित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. किसी भी तरह से, यह नहीं माना जा सकता है कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और शासकीय विभाग के लिए विवाद के निराकरण हेतु दूसरा खंड इस बात को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया था कि भविष्य में विनिवेश के कारण बाल्को का प्रबंधन बदल सकता है। यह नहीं माना जा सकता है कि दूसरा खंड बाल्को और ईपीआईएल के बीच विवादों और मतभेदों के मामले में लागू होगा।

38. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने जियो-ग्रुप कम्युनिकेशंस इंक. बनाम आईओएल ब्रॉडबैंड लिमिटेड[12] के मामले में माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के प्रावधानों के तहत आवेदन पर निर्णय देते हुए यह अवधारित किया है:

> "31. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरवादी कंपनी एक्सैट की हित-उत्तराधिकारी है। एक्सैट के उत्तरवादी के साथ विलय के बाद, एक्सैट की सभी देनदारियाँ और दायित्व, जिनमें दिनांक 1-12-2005 के एसएचए में उल्लिखित देयता और

12 (2010) 1 SCC 562

दायित्व भी शामिल हैं, विधिक रूप से उत्तरवादी कंपनी को हस्तांतरित हो गईं। आवेदन की सुनवाई के समय उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि की इस स्थिति को उचित रूप से स्वीकार किया गया। यहाँ तक कि विलय योजना के खंड 3.3 में भी अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से प्रावधान है कि उत्तरवादी कंपनी एक्सैट के किसी भी प्रकार के सभी देयता और दायित्वों से बंधी होगी। इसलिए, दिनांक 1-12-2005 के एसएचए के खंड 11.7 के अनुसार, 1-12-2005 का आदेश उत्तरवादी कंपनी पर उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार यह एक्साट पर लागू था।

39. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 2-3-2001 को हुए बाल्को के विनिवेश के बाद बाल्को का प्रबंधन निजी हाथों में अर्थात स्टरलाइट के हाथों में चला गया है, ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है::

> "60. कंपनी के 51% शेयरों के विनिवेश के परिणामस्वरूप, प्रबंधन और नियंत्रण, निस्संदेह, निजी हाथों में चला गया है। फिर भी, विधिवत यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मचारियों का नियोक्ता बदल गया है। कर्मचारी कंपनी के अधीन बने रहेंगे और प्रबंधन में परिवर्तन विधिवत रोजगार में परिवर्तन नहीं माना जा सकता।"

41. भारत सरकार, स्टरलाइट और बाल्को के बीच शेयर क्रय करार के कंपनी के अभ्यावेदन और वारंटी (अनुच्छेद 7) के खंड 7.12 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंपनी अपना व्यवसाय लगभग उसी आधार पर चला पाएगी जिस आधार पर उसका व्यवसाय वर्तमान में चल रहा है। इस प्रकार, बाल्को, सिविल और संरचनात्मक कार्यों

के संबंध में तत्कालीन बाल्को और ईपीआईएल के बीच हुए माध्यस्थम् करार द्वारा शासित होगा।

42 शेयर क्रय करार के कंपनी के अभ्यावेदन और वारंटी (अनुच्छेद 7) के खंड 7.12 में निम्नलिखित उल्लिखित है:

> "7.12 कंपनी किसी ऐसे करार की पक्षकार नहीं है जो समापन के बाद कंपनी के व्यावसायिक संचालन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। समापन के बाद, कंपनी को "शासकीय कंपनी" या "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" के रूप में नहीं माने जाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को छोड़कर, कंपनी अपना व्यवसाय लगभग उसी आधार पर चला सकेगी जिस आधार पर उसका व्यवसाय वर्तमान में चल रहा है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. विनिवेश के समय, जो दिनांक 2-3-2001 को प्रभावी हुआ, तत्कालीन बाल्को की 51% शेयरधारिता वर्तमान बाल्को के पास थी। इस प्रकार, तत्कालीन बाल्को का प्रबंधन बाल्को के वर्तमान प्रबंधन को हस्तांतरित कर दिया गया। यह नहीं माना जा सकता कि भारत सरकार ने अपना पूर्ण नियंत्रण खो दिया है, क्योंकि भारत सरकार के पास अभी भी वर्तमान बाल्को में 49% शेयर हैं। अतः, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ यह माना जा सके कि तत्कालीन बाल्को का स्वामित्व किसी नए निजी उद्यम को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह केवल विनिवेश के कारण प्रबंधन के हस्तांतरण का मामला है।

44. बाल्को ने ईपीआईएल को न तो कोई नया माध्यस्थम् करार निष्पादित करने, न ही मूल संविदा को विखण्डित करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए लिखा है। बाल्को ने ऐसा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है जिसके माध्यम से बाल्को ने उपरोक्त उद्देश्यों के लिए ईपीआईएल से अनुरोध किया हो।

45. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिंदल विजयनगर स्टील (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और फजलेहुसैन हैदरभाई

बक्समुसा (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि दोनों ही मामलों में न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार विचाराधीन था। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता कि बाल्को तत्कालीन बाल्को और ईपीआईएल के बीच हुए माध्यस्थम् खंड से बाध्य नहीं है। यहाँ यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि वर्तमान प्रबंधन भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के पुराने नाम और शैली के तहत कार्य कर रहा है।

46. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि पक्षकारों द्वारा विवाद को माध्यस्थम् के लिए संदर्भित करने का आशय करार की शर्तों से स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। माध्यस्थम् करार संविदा अधिनियम के तहत करार से भिन्न है। माध्यस्थम् करार संविदा के तहत पक्षकारों के अधिकारों को वर्गीकृत नहीं करता है, बल्कि यह अधिकारों के पूर्ण निर्धारण से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विनिवेश करार में विवादों और मतभेदों की एक सूची थी, जिसे बाल्को के वर्तमान प्रबंधन को हस्तांतरित कर दिया गया था। वर्तमान विवाद का कोई संदर्भ नहीं है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईपीआईएल ने सिविल और संरचनात्मक कार्यों के लिए संविदा किया था, जो पूरा हो गया था और उस समय बाल्को और ईपीआईएल के बीच कोई विवाद या मतभेद नहीं था। अन्यथा, यदि विवादों की सूची में कोई उल्लेख नहीं था, तो ईपीआईएल को उसके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में विवादों और मतभेदों को निराकृत करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पूर्वोक्त के अनुसार, यह माना जाता है कि वर्तमान बाल्को हित-उत्तराधिकारी है।

48. लॉर्ड हॉफमैन (हाउस ऑफ लॉर्ड्स) ने प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड (20वां उत्तरवादी) और अन्य (उत्तरवादी) बनाम फिली शिपिंग कंपनी लिमिटेड (14वां दावेदार)

और अन्य (अपीलार्थीगण)[13] के मामले में माध्यस्थम् खंड की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित राय व्यक्त किया है:

> "1. मेरी राय में, माध्यस्थम् खंड की रचना इस धारणा से शुरू होनी चाहिए कि पक्षकार, तर्कसंगत व्यवसायी होने के नाते, उस संबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय उसी न्यायाधिकरण द्वारा किए जाने की अपेक्षा रखते होंगे जिसमें वे प्रवेश कर चुके हैं या प्रवेश करने का दावा कर रहे हैं। इस खंड की व्याख्या इसी धारणा के अनुसार की जानी चाहिए, जब तक कि भाषा यह स्पष्ट न कर दे कि कुछ प्रश्नों को मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना था....."

49. जे.के. जैन एवं अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य[14] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है::

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "7. यह सत्य है कि मध्यस्थ को विवाद की सुनवाई और निर्णय का क्षेत्राधिकार प्रदान करने के लिए एक माध्यस्थम् करार होना आवश्यक है। जहाँ ऐसा कोई करार नहीं है, वहाँ क्षेत्राधिकार का प्रारंभिक अभाव है। इसीलिए न्यायालयों ने यह धारणा स्थापित की है कि माध्यस्थम् के लिए प्रस्तुत होने के आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि पक्षकारों को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि विवाद का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ किसी संविदा में माध्यस्थम् खंड होता है, वह दो संविदाओं को एक में समाहित कर देता है, एक निर्धारित तरीके से सौंपे गए कार्य के अनुपालन से संबंधित होता है और दूसरा उक्त संविदा के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद को कैसे सुलझाया जाए, इससे संबंधित होता है। जब भी विवाद का एक पक्ष यह दावा करता है कि एक माध्यस्थम् करार है जिसके

---

13 [2007] UKHL 40
14 14 (1995) 6 SCC 571

द्वारा पक्षकार विवाद को मध्यस्थ के पास भेजने पर सहमत हुए थे, लेकिन करार के दूसरे पक्ष द्वारा उस पर विवाद किया जाता है और उसे चुनौती दी जाती है, तो इसकी जाँच और निर्धारण किया जाना चाहिए। "माध्यस्थम् करार" बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई औपचारिक करार हो या सभी शर्तें एक ही दस्तावेज़ में समाहित हों। केवल इतना आवश्यक है कि दस्तावेज़ों से यह प्रकट हो कि पक्षकार वर्तमान या भविष्य के मतभेदों को माध्यस्थम् के लिए प्रस्तुत करने पर सहमत हुए थे।

50. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि बाल्को के वर्तमान प्रबंधन पर पी.एम.ए. की व्यवस्था बाध्यकारी नहीं है, निराधार है। पीएमए की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के बीच तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच उत्पन्न विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए की गई थी, जैसा कि पीएमए की स्थापना के लिए दिनांक 12-3-1985, 29-3-1989, 31-12-1991 और 24-1-1994 के कार्यालयीन ज्ञापनों में स्पष्ट किया गया है। (देखें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (पूर्वोक्त[1)], तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (पूर्वोक्त[2]) और मुख्य वन संरक्षक, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम कलेक्टर और अन्य[15])।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51 इस मामले के तथ्य अलग हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ पहली बार बाल्को के वर्तमान प्रबंधन पर पीएमए व्यवस्था लागू की जा रही है। जब बाल्को और ईपीआईएल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, तब दोनों पक्षकारों ने माध्यस्थम् करार के माध्यम से पीएमए व्यवस्था को स्वीकार किया था। अब विनिवेश के बाद, 51% शेयरों के साथ बाल्को का प्रबंधन बाल्को के वर्तमान प्रबंधन को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार, पीएमए व्यवस्था लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि विवादों को

---

15 (2003) 3 SCC 472

सुलझाने का तरीका दोनों पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित करार से लिया गया है, जो बाल्को के वर्तमान प्रबंधन के उत्तराधिकार में चला आ रहा है। बाल्को निस्संदेह एक संयुक्त उद्यम है। यह कोई निजी उद्यम नहीं है, जिसमें सभी शेयर किसी निजी पक्ष (पक्षकारों) के पास हों।

52. न्यू होराइजन्स में सर्वोच्च न्यायालय लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य[16] मामले में, 'संयुक्त उद्यम' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> 24. "संयुक्त उद्यम" शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक होता है। इसका तात्पर्य साझेदारी के स्वरूप की एक विधिक इकाई से है जो पारस्परिक लाभ के लिए किसी विशेष संव्यवहार के संयुक्त उपक्रम में संलग्न है, या व्यक्तियों या कंपनियों का एक संघ है जो संयुक्त रूप से कोई वाणिज्यिक उद्यम करता है जिसमें सभी संपत्ति का योगदान करते हैं और जोखिम साझा करते हैं। इसके लिए विषय-वस्तु के अनुपालन में एक समुदाय के हित, उससे संबंधित नीति को निर्देशित और संचालित करने का अधिकार, और लाभ और हानि दोनों में साझा करने का कर्तव्य, जिसे करार द्वारा बदला जा सकता है, आवश्यक है। (ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण, पृष्ठ 839) "वड्र्स एंड फ्रेज़ेस", परमानेंट संस्करण के अनुसार, एक संयुक्त उद्यम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है जो लाभ के लिए एक ही व्यावसायिक उद्यम चलाते हैं (पृष्ठ 117, खंड 23)। एक संयुक्त उद्यम एक निगम का रूप ले सकता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या कंपनियाँ एक साथ जुड़ सकती हैं। एक संयुक्त उद्यम निगम को एक ऐसे निगम के रूप में परिभाषित किया गया है जो कॉर्पोरेट ढांचे के भीतर अन्य व्यक्तियों या निगमों के साथ किसी विशिष्ट उपक्रम में शामिल हो गया है जो आमतौर पर तेल, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु ऊर्जा, आदि क्षेत्रों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16 (1995) 1 SCC 478

में पाया जाता है। क्षेत्र। (ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण, पृष्ठ 342) पूर्वी एशिया के तेज़ी से विकासशील देशों, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, आदि में विदेशी पूँजी या तकनीकी विशेषज्ञता के प्रवाह की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के संबंध में अब संयुक्त उद्यम कंपनियाँ तेज़ी से बन रही हैं। [देखें जैक्स बुहार्ट: पूर्वी एशिया में संयुक्त उद्यम कानूनी मुद्दे (1991)।] हमारे देश में भी संयुक्त उद्यमों का इसी तरह विकास हुआ है जहाँ विदेशी कंपनियाँ भारतीय समकक्षों के साथ जुड़ती हैं और उद्यम की सफलता के लिए पूँजी और तकनीकी जानकारी में योगदान देती हैं। उच्च न्यायालय ने "संयुक्त उद्यम" शब्द के इस अर्थ पर ध्यान दिया है। लेकिन उच्च न्यायालय ने माना है कि एनएचएल एक संयुक्त उद्यम नहीं है और इसमें एक विदेशी कंपनी की केवल एक निश्चित मात्रा में इक्विटी भागीदारी है। हम उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. दिनांक 22-1-2004 का कार्यालयीन ज्ञापन अपने आप में लागू या निर्विवाद नहीं है। कार्यालयीन ज्ञापन के बाद एक करार होना आवश्यक है। यह सत्य है कि इस मामले में, दिनांक 22-1-2004 के कार्यालयीन ज्ञापन के बाद पक्षकारों के बीच कोई माध्यस्थम् करार नहीं हुआ है। इसलिए, इसका पक्षकारों के बीच संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो बाल्को और ईपीआईएल के बीच हुए माध्यस्थम् करार से उत्पन्न होता है।

54. दिनांक 22-1-2004 के कार्यालयीन ज्ञापन पर प्रश्नाधीन मामले में निर्णय नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक ठोस कार्य है, जो तब प्रभावी होता है जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं और दस्तावेज़ पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। मूलतः दिनांक 22-1-2004 के कार्यालयीन ज्ञापन पर कोई राय व्यक्त नहीं की जाती है।

55.उपर्युक्त कारणों से, मध्यस्थ द्वारा पारित दिनांक 19-12-2001, 21-3-2002 और 22-5-2002 के आदेशों में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है। अन्यथा भी, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति को रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त समय पर, जब भी यह उपलब्ध हो, इस पर प्रश्नगत किया जा सकता है।

56.इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों और विश्लेषण के आधार पर, मुझे याचिकाओं में कोई सार नहीं दिखता है, जिसके लिए पीएमए की रिट समाधान पद्धति में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तदनुसार, दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

57. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Angel Kujur, Advocate